ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.2, JULY-DEC,2023 /22

''वृद्धों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के कारण एवं समाधान''

डॉ0 मनोज कुमार वत्स (विभागाध्यक्ष–समाजशास्त्र विभाग), एवं प्रमोद कुमार मौर्य शोध–छात्र (समाजशास्त्र)
राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नाकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर
https://doi.org/10.61410/had.v18i2.138

सारांशः–

हाल के दशकों में जहां एक ओर भारत में वृद्धो की जनसंख्या बढ़ी है वहीं दूसरे ओर नए प्रकार के मूल्य एवं सम्बन्धों के प्रतिमान उभर रहे हैं। समय के साथ–साथ मानव प्रगति पथ पर बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है परंतु मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के सहारे से अनेक परिवर्तन करता आ रहा है। नित नयी सुविधाएं जुटाना उसका लक्ष्य रहता है और उसकी यह लालसा उन्नति का कारण बनती है। आज मानव उन्नति के उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां से विकास की गति को पंख लग गए हैं। विकास की गति अधिक तीव्र हो गई है शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है, शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के कारण मानव का रहन–सहन, खान–पान एवं सोच में बदलाव आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक सुविधाओं से युक्त जीवन जीना चाहता है, अधिक से अधिक सुविधाएं जुटानें में लग गया है इसी प्रतिद्वन्दिता ने उसके सुख, चैन, शांति को छीन लिया है। उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसी के कारण आज का युवा परम्परागत रूढ़ियों मान्यताओं को तोड़ डालना चाहता है वह स्वतंत्र होकर जीना चाहता है युवा की यही सोच बुजुर्गों को आहत करती है। आज के बुजुर्ग आज के अचानक आए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने समय के जीवन मूल्य और आदर्श ही अच्छे लगते हैं। अतः वह इसके लिए नए जमानें और नई पीढ़ी को दोषी मानता है। इसलिए नई पीढ़ी उनकी सोच को नकार देती है और पुरानी पीढ़ी से दूरियां बनाने लगती है, परिवार में सामंजस्य का अभाव उत्पन्न होने लगता है जो घर में विद्यमान बुजुर्गों के लिए दुखदायी होता है। वर्तमान में वृद्धों की हालत दयनीय हो गई है यह चिंता का विषय है।

मुख्य शब्दः–

वृद्धावस्था, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं।

प्रस्तावनाः–

जनसंख्या की उम्र बढ़ाना एक वैश्विक मुद्दा है, जिसे स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर निहितार्थ माना जाता है। वह प्रक्रिया जिससे जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घटता है और वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, उन्हें जनसंख्या की उम्र बढ़ने के रूप में जाना जाता है। पिछली सदी के उत्तरार्ध के दौरान बुजुर्गों की वैश्विक आबादी लगातार बढ़ रही है।

प्राचीन काल में ही भारतीय परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में मान्य रहा है, जो कि अपने सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम रहा है। इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन काल में वृद्धो की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्मानीय रही है। उन्हें समाज एवं परिवार में अलग वर्चस्व था। परिवार की समस्त बागडोर उनके हाथों में हुआ करती थी। परिवार में कोई फैसला उनकी सलाह व मशविरे के आधार पर होता था। उन्हीं की सत्ता एवं प्रभाव के कारण पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वे परिवार के सदस्यों को एक धागे में बॉधे रखते थे परंतु भौतिकवादी युग में वृद्धों की समस्याओं का बढ़ना एवं समाज में उनकी उपयोगिता कम और समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है और इस

पड़ाव में जीवन आसक्त होता जा रहा है। कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। भरण–पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, यही निर्भरता वृद्धों की समस्याओं की मूल है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश हो जाती है। चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित क्यों न हो, इस अवस्था में उनकी गाड़ी चरमराने लगती है, वह युवा पीढ़ी से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसमें उनकी समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। विश्व में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां वृद्धावस्था में अब सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा के कष्ट झेलते हैं, युवा वर्ग वृद्धो को कोई महत्व नहीं देते हैं।

भारतीय संस्कृति में वृद्धों को अत्यंत उच्च एवं आदर्श स्थान प्राप्त है। श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता–पिता को कंधे पर बिठाकर संपूर्ण तीर्थयात्रा करवायी थी। आज भी अधिकांश परिवारों में वृद्धो को ही परिवार का मुखिया माना जाता है। कितनी विडंबना है कि पूरे परिवार पर बरगद की तरह छाव फैलाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में अकेला, असहाय एवं बहिष्कृत जीवन जीता है। जीवन भर अपने मन, कर्म व वचन से रक्षा करने वाला, पौधों से पेड़ बनाने वाला व्यक्ति घर में एक कोने में उपेक्षित पड़ा रहता है या अस्पताल या वृद्धाश्रम में अपनी मौत की प्रतीक्षा करता है। आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों के क्षरण की यह परिणति है। आज के वैश्विक समाज में वृद्धों को अनुत्पादक, दूसरों पर आश्रित, सामाजिक स्वतन्त्रता से दूर अपने परिवार एवं आश्रितों से उपेक्षित एवं युवा लोगों पर भार की दृष्टि से देखा जाता है। जब तक हम वृद्धजनों की कीमत नहीं समझेंगे, उस उम्र की पीड़ा का एहसास नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी अच्छाइयां बनावटी होंगी।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः–

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यो द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमेंः

अग्रवाल गिरिजा शरण (2004) वृद्धावस्था की कहानियां, वृद्धावस्था में शरीर आसक्त हो जाने के कारण बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है परंतु कार्यमुक्त होने के कारण अधिकतर बुजुर्गों के पास धन का अभाव होता है और बीमारियां बुढ़ापे की मुश्किलों का पर्याप्त कारण बन जाती हैं।

राय, सत्येंद्र नाथ (2016) वृद्धावस्था में सुखी जीवन समय के साथ परिवर्तित हो रही सामाजिक व्यवस्था ने बुजुर्गों के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है संयुक्त परिवार बिखरकर एकल परिवार बन चुके हैं। प्रत्येक माता–पिता की इच्छा होती है। वह अपने बच्चों को जीवन की सारी खुशियां उपलब्ध करा पायें। अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा पायें। यह सब सीमित परिवार के होते हुए ही संभव है। जैसे–जैसे पुत्र–पुत्री बड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं युवावस्था में प्रवेश करते हैं, पुत्री का विवाह कर ससुराल विदा करना होता है और पुत्र को अपने अच्छे भविष्य की तलाश में अपने परिवार, अपने शहर से दूर जाना पड़ता है। अंत में परिवार में रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग पति और पत्नी, यदि बेटा विदेश चला जाता तो उसे लौटने में भी साल –साल भर लग जाता है।

अध्ययन का उद्देश्यः–

प्रस्तुत लेख में वृद्धजनों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

अध्ययन पद्धतिः–

वर्तमान अध्ययन भारतीय समाज में वृद्धों की समस्याओं के कारण एवं समाधान के विविध पक्षों के अन्वेषण से सम्बन्धित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतीयक स्रोत पर आधारित

है इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यो द्वारा संपादित पुस्तकों द्वारा लिया गया है।

वृद्धजनों की समस्याएंः–

60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वृद्ध के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था के लोग स्वयं को आज की परिस्थितियों में परिवार एवं समाज द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने परिवार की संरचना एवं प्रकार्य को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। वृद्धावस्था की सर्व प्रमुख समस्या अलगाव या अकेलापन की है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि उसका जीवन सामान्य जीवन से भिन्न है जिसमें उसे अलग या अकेला रहना अपरिहार्य है वृद्धो के अलगाव के प्रमुख कारण अपने सगे संबंधियों की उदासीनता लोगों पर आश्रितता, शारीरिक अक्षमता या असमर्थता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्थिति असहज एवं असहाय करती है तथा उन्हें नकारात्मक वृद्धावस्था की स्थिति में ले जाती है पीढ़ी अंतराल में युवा एवं नवीन पीढ़ी की प्रतिक्रिया इसे और कठिन बना देती है वृद्धों में उपार्जन को लेकर बढ़ती हुई असमर्थता ने अत्यंत गंभीर समस्या को जन्म दिया है।

चार्ल्स बेकर के अनुसार वृद्धावस्था व्यक्ति के उन परिवर्तनों का द्योतक है जो समाज के परागमन का परिणाम होता है ये परिवर्तन दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक हो सकते हैं।

बेंजामिन श्लॉस के अनुसार वृद्धावस्था भी एक बीमारी की तरह है। यह एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लगती है तथा बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बीमारी के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं।

डबलिन के अनुसार वृद्धावस्था वे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन है जो जीवन काल के मुख्य भाग के व्यतीत हो जाने के बाद घटित होते हैं इस प्रकार वृद्धावस्था का आगमन वस्तुतः जीवन के सर्वाधिक गतिशील एवं क्षमता पूर्ण काल के पश्चात क्रमशः आयु वृद्धि के साथ–साथ होते शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का परिणाम है।

सरकार द्वारा वृद्धों की पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड(सी0आर0पी0सी0) तथा प्रतिपालन एवं निर्वाह अधिनियम(एडाप्शन एंड मटीनेन्स एक्ट) में भी कुछ वर्ष पहले ही आवश्यक संशोधन करते हुए संतान को वृद्ध माता–पिता के भरण पोषण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया है जिससे बुजुर्गों की वृद्धावस्था में भरण पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

पीढ़ी गत अंतराल हमेशा युवा एवं वृद्धो के मध्य दृष्टिकोण या समझ में अंतर का है। पीढ़ीगत अंतराल हमेशा रहा है किन्तु वर्तमान में यह विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। जीवन में मूल्य एवं प्रतिमानों में वृहत परिवर्तन हुए हैं आज व्यक्ति अपने मनमुताबिक जीवन यापन करना चाहता है।

वृद्धजनों की समस्या के कारणः–

वृद्धावस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिसमें समयानुसार परिवर्तन होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह क्रमशः धीरे–धीरे आने वाली एक अवस्था है जो स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से घटित होती है अतः यह कहा जा सकता है कि वृद्धावस्था परिवर्तन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन में अनुभव के सभी पक्ष सन्निहित होते है। परंतु आज आधुनिक परिवर्तन के दौर में वृद्धों की महत्ता को नहीं समझ गया है, जिसके कारण उम्र के अंतिम दौर में अपना जीवन यापन करने के लिए वे सहारा ढूंढने के लिए विवश होते हैं। व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जैसे–जैसे बढ़ने लगता है वैसे–वैसे उसकी परिस्थिति व भूमिका बदलने लगती है,

जिससे सामाजिक समन्वय की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। समाज में ऐसे वृद्धजनों की संख्या अधिकतम है जो स्वस्थ, जागरूक तथा सक्रिय रूप में कई क्षेत्रों में योग्य एवं सक्षम है परंतु उनके अनुभवों का लाभ लेने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है जिसके कारण वे अपने जीवन को अनुपयोगी समझने लगते हैं। अतः वृद्धजनों के प्रति परिवार एवं समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का तरिका उनमें अकेलेपन, असहाय एवं उपेक्षित जीवन की स्थितियों को निर्मित करता है जिसे हम सामाजिक मूल्यों के क्षरण की स्थिति कह सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय समाज में वृद्धजनों की जो सामाजिक, आर्थिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं उनके प्रमुख कारण निम्नलिखित है–

1.पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण एवं भौतिकवादी मानसिकता।
2.संयुक्त परिवारों का बिखराव।
3.पारिवारिक संबंधों में समय तथा परस्पर प्रेम का अभाव।
4.वर्तमान में नवयुवकों में कर्तव्य एवं दायित्वबोध की कमी।
5.मूल्यविहीन जीवनशैली।
6.नई एवं पुरानी पीढ़ी के मध्य बढ़ती दूरी।
7.व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अवसरवादिता।
8.सेवा भावना एवं सामंजस्य का अभाव।

उपर्युक्त कारक वृद्धजनों की स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही उभरती हुई एक सामाजिक समस्या के रूप में गहन मंथन करने के लिए विवश करते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था एक विचारणीय विषय के रूप में समाज में उभरकर आया है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक चिंतन और वैचारिक विमर्श का मुद्दा बन चुका है। यह वृद्धजनों की बेहतर स्थिति के उन्नयन हेतु सार्थक प्रयास करने के लिए परिवार, समाज एवं शासन का ध्यान आकृष्ट करता है क्योंकि तीनों के समन्वय प्रयास से ही वृद्धजनों की बेहतर स्थिति की सम्भावनाओं के सार्थक प्रयास संभव हो सकते हैं।

वृद्धजनों की समस्याओं के समाधानः–

हमारे संविधान में वृद्धजनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है वृद्धजनों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की व्याख्या निम्नानुसार हैः–

1.**संवैधानिक अधिकारः**–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 की सूची 3 एवं धारा 6 में वृद्ध लोगों के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें कार्य की दशाओं, भविष्यनिधि, आशक्तता तथा वृद्धावस्था पेंशन की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के मद संख्या 9 एवं समवर्ती सूची की मद संख्या 20, 23 एवं 24 में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा के अधिकार दिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर वृद्धजनों के रोजगार, शिक्षा, बीमारी एवं विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकारों को सुरक्षित करेगा एवं इसके लिए कारगर प्रावधान बनाएगा।

2.कानूनी अधिकारः–

माता–पिता की देखभाल करना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है किंतु विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में इसके लिए अलग–अलग जिम्मेदारियां कानून ने निर्धारित की है।

हिन्दू कानूनः–

साधन विहीन माता–पिता अपने भारत पोषण के लिए साधन संपन्न बच्चों पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अधिकार को कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 12–(1)(डी)

तथा हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(1 एवं 3) एवं तीन द्वारा मान्यता दी गई है। इस धारा से स्पष्ट है कि अभिभावकों के भरण पोषण की जिम्मेदारी पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों की भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ वे ही अभिभावक आते हैं जो भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है।

मुस्लिम कानूनः–

तैयबजी के अनुसार माता–पिता या दादा–दादी आर्थिक विपन्नताओं की स्थिति में हनाफी नियम के अनुसार अपने पुत्र–पुत्रियों या नाती–नातियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं एवं ये अपने माता–पिता की सहायता के लिए बाध्य हैं।

इसाई एवं पारसी कानूनः–

इसाई एवं पारसियों के अभिभावकों के भरण–पोषण के लिए कोई व्यक्तिगत कानून नहीं है जो अभिभावक भरण–पोषण चाहते हैं वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है तथा यह सभी धर्म एवं समुदायों पर लागू होता है। इस सहिंता के तहत धारा 125(1) में प्रावधान है कि जो माता–पिता अपने भरण–पोषण में असमर्थ हैं यदि उनके पुत्र या पुत्रियां भरण पोषण से इनकार करते हैं तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपने माता–पिता के भरण पोषण के इनकार के प्रमाण के आधार पर मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्ताव पारित कर वृद्धजनों के हित में 18 सिद्धांतों को अधिमान्य किया गया जिन्हें पांच भागों में बांटा गया है–1–स्वतंत्रता, 2–भागीदारी 3–देखभाल, 4–स्वपूर्णता, 5–सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 अक्टूबर 1992 को को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया है।

निष्कर्ष व सुझावः–

वृद्ध लोग समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं लेकिन उनके अनुभवों का उपयोग समाज अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। अधिकांश वृद्धों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए यह सुझाव दिया है कि बच्चों को समाज के लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे वृद्धों का आदर करना सीखें। दूसरा मुख्य सुझाव आर्थिक सहायता का है। शारीरिक समस्या वृद्धों की प्रमुखतम समस्या है। वृद्धों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराया जाए एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। वृद्धों की आर्थिक समस्या कम करने के लिए और अकेलापन की भावना इत्यादि को कम करने के लिए वृद्धों के लिए स्वयं सहायता समूह विकसित किया जाए जिसमें उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। उनका अनुभव विकसित होगा और अकेलापन की भावना भी कम होगी। वृद्धों की समस्याओं को लेकर हर फोरम पर अभिव्यक्ति की जरूरत है। सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर गंभीरता से इन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें वृद्धों के प्रति सही दृष्टिकोण, वृद्धों की जरूरतों एवं उनके जीवन को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक तंत्र को विकसित करना होगा जो वृद्धों की देखभाल बिना एक दूसरे पर आक्षेप लगाए कर सके। हमें समाज में यह चेतना जगानी होगी की वृद्ध हमारी जिम्मेदारी नहीं आवश्यकता है। वे जीवन के अनुभवों के खजाने हैं जिन्हें सहेज कर रखना हर समाज एवं संस्कृति का धर्म एवं नैतिक जवाबदारी है। वृद्धावस्था को सम्मान पूर्वक एवं शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की आकांक्षा रखनी चाहिए एवं उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए ना कि अपनी प्रत्येक इच्छा पूर्ति के लिए जिद्दोजहद।

संदर्भः–

1. अग्रवाल गिरिराज शरण(2004) वृद्धावस्था की कहानियां। प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
2. उमेश चंद्र अग्रवाल 'बढ़ाते बुजुर्ग घटती सुरक्षा कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2009
3. शिन्धाल, विनीता(2014) वृद्धावस्थाः नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
4. शर्मा, स्वर्णाकान्ता (2014) वद्धावस्थाः बागवां से आगे, बुका होलिका पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. प्रसाद, चंद्र मौलेश्वर(2016) वृद्धावस्था विमश, परिलेख प्रकाशन नजीवाबाद।
6. राय सत्येंद्र नाथ(2016) वृद्धावस्था में सुखी जीवन, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।